संचिका सं0–**BSSS/GA/AB-PMJAY/36/2019** पटना, दिनांक–..................

–: आदेश :–

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन दावों के त्वरित/पेपरलेस निस्तारण हेतु Deputy CEO, NHA के DO Letter No.-S12018/05/2019-NHA Dated 22th April, 2019 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में बैंक के द्वारा Claim Payment Integration पद्धति अपनाया जाना है। इस कार्य हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों को SHA Approver नामित किया जाता है :–

SL. No.	Name of SHA Approver Officer	Designation	Mobile No.
1	Sri Amitabh Singh	Deputy Secretary Health-cum-Administration Officer, BSSS	9470003022

SHA Approver को निदेशित किया जाता है कि Online Payment Process-PMJAY के तहत दावों के भुगतान हेतु कार्रवाई की प्रक्रिया उपरोक्त पत्र में अंकित दिशा–निदेश के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही SHA Approver यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को NHA के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। NHA के द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप ISA Medsave TPA Ltd. के Claim Executive (Cex) एवं Claim Panel Doctors (CPD) के द्वारा approved Claims की जाँच SHA स्तर पर नामित छः Account Officer ससमय करते हुए SHA Approver को अपना मंतव्य अंकित करते हुए अग्रसारित करेंगे।

SHA approver आवश्यकतानुसार अपना मंतव्य अंकित कर सकते हैं एवं Tax Deduction at Source (TDS) करते हुए Health Care Providers को भुगतान किए जाने के प्राप्त दावे को "Approve" या "Revoke" करना सुनिश्चित करेंगे।

2. श्री नयन, लेखा शाखा, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति/श्री धीरज प्रकाश, लेखा लिपिक, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को निदेशित किया जाता है कि :–

i) भुगतान का दैनिक लेखा संधारण Double Entry System से करेंगे।
ii) भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित सूचीबद्ध अस्पताल एवं बैंक शाखा से संपर्क स्थापित कर समस्या का त्वरित निराकरण एवं भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

3. Consultant Finance, KPMG को निदेशित किया जाता है कि :–

i) भुगतान की प्रक्रिया का दैनिक अनुश्रवण (Monitoring), सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी प्रकार की समस्या यथा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन/Bounce Back of Payments आदि से CEO, SHA/A.O., SHA/FM., SHSB को अवगत करायेंगे।
ii) सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को माहवार भुगतान किए गए मामलों की सूचना Case ID एवं राशि सहित उपलब्ध करायेंगे।

4. Consultant IT, KPMG को निदेशित किया जाता है कि Claim Payment Integration में उत्पन्न होने वाले तकनीकी स्तर के खामियों का निराकरण NHA एवं BOI के Finance Team के साथ समन्वय स्थापित कर करेंगे।

5. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, वीरचंद पटेल पथ, पटना को निदेशित है कि NHA से प्राप्त निदेश के आलोक में सूचीबद्ध अस्पताल को किए जा रहे भुगतान की प्रक्रिया का दैनिक रूप से अनुश्रवण (Monitoring) करेंगे एवं Transactions का दैनिक प्रतिवेदन, Bounce Back अथवा Transaction failure आदि की सूचना नियमित रूप से विशेष दूत/निबंधित डाक/Email के माध्यम विहित प्रपत्र में कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त सभी पदाधिकारी/कर्मी एवं सलाहकार EHCP के दावों के त्रुटिरहित ससमय Online भुगतान संबंधी कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
(मनोज कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति।

ज्ञापांकः–722 पटना, दिनांक 24/05/2019

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. CEO, NHA, New Delhi/Dy. CEO, NHA, New Delhi को कृपया सूचनार्थ।
3. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
4. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. विशेष सचिव (प्रभारी पदा0 बजट शाखा), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्री अमिताभ सिंह, प्रशासी पदाधिकारी–सह–SHA Approver, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. अवर सचिव (प्रभारी पदा0 लेखा शाखा), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
8. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
9. सभी ACO, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. IT Manager, Health को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
11. सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी सूचीबद्ध अस्पताल को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/19
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति।